

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-313) अलेसे-I/798

दिनांक:- 16/11/2018

कार्यालय आदेश

श्री गिरधारी लाल अग्रवाल(लिंक नं. 1927), सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1091 दिनांक 10.01.2018 के द्वारा, रिश्त के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 26.12.2017 को ट्रेप करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में लेने के फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री अग्रवाल को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री अग्रवाल द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा सूचित श्री अग्रवाल के सहयोगात्मक रूख के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री गिरधारी लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

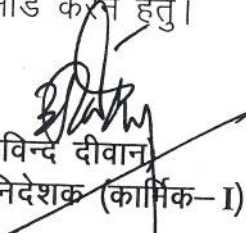

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-313) अलेसे-I/798

दिनांक:- 16/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी (शहर), जयपुर।
- 2 श्री गिरधारी लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित), मुख्यालय-कोषालय (शहर), जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)